वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 32

वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	5223.81	5223.81	...	4620.41	4620.41	...	7263.64	7263.64
पूंजी		...	*40314.19*	*40314.19*	...	*37148.59*	*37148.59*	*1900.00*	*909.23*	*2809.23*
जोड़		**...**	**45538.00**	**45538.00**	**...**	**41769.00**	**41769.00**	**1900.00**	**8172.87**	**10072.87**
औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2885	...	282.35	282.35	...	260.20	260.20	...	...	...
2. एसएएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	2885	...	500.00	500.00	...	...	...	...	...	...
आईडीबीआई की भारग्रस्त परिसंपत्तियों	6885	...	-500.00	-500.00	...	...	...	...	...	...
की वसूली	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2885	...	1300.00	1300.00	...	100.00	100.00	...	433.40	433.40
4. आईसीआईसीआई बैंक	2885	...	0.01	0.01	...	23.84	23.84	...	...	...
5. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	4885	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
6. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	2885	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
7. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी										
लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	4885	...	200.00	200.00	...	700.00	700.00	...	200.00	200.00
जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		***...***	***1882.37***	***1882.37***	***...***	***1184.04***	***1184.04***	***...***	***733.40***	***733.40***
कृषि वित्तीय संस्थाएं										
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2416	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91	...	0.91	0.91
9. सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के										
लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास										
बैंक के माध्यम से अनुदान	2416	...	1500.00	1500.00	...	2045.37	2045.37	...	3542.00	3542.00
10. कृषि ऋण सहायता स्कीम	2416	...	...	...	...	37.26	37.26	...	...	...
11. किसानों को अल्प अवधि ऋण										
मुहैया कराने के लिए ब्याज सहायता	2416	...	1676.86	1676.86	...	1700.00	1700.00	...	1600.00	1600.00
12. जल संचयन योजना के लिए नाबार्ड को										
अनुदान सहायता अनुदान	2416	...	...	...	...	0.82	0.82	...	...	...
13. दीर्घ अवधि सहकारी ऋण सूचना को										
पुनर्जीवन	2416	...	...	...	...	...	...	...	600.00	600.00
14. वित्तीय समावेशन कोष को अंशदान	2416	...	...	...	...	10.00	10.00	...	25.00	25.00
15. वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष को										
अंशदान	2416	...	...	...	...	10.00	10.00	...	25.00	25.00
16. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को पुनः										
पूंजीकरण के लिए सरकारी अनुदान	4416	...	...	...	...	303.11	303.11	...	594.87	594.87
17. पुडुचेरी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना										
के लिए सरकारी अनुदान	4416	...	...	...	...	0.50	0.50	...	...	...
जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं		***...***	***3177.77***	***3177.77***	***...***	***4107.97***	***4107.97***	***...***	***6387.78***	***6387.78***
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
18. भारतीय स्टेट बैंक में आरबीआई स्टेक										
की अधिग्रहण लागत	5465	...	40000.00	40000.00	...	35531.33	35531.33	...	...	...
19. भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी शेयर										
उचित रूप से जारी करने के लिए चंदा	5465	...	...	...	...	10000.00	10000.00	...	...	...
घटाइए-एसबीआई को जारी की गई	8012	...	...	...	...	-10000.00	-10000.00	...	...	...
प्रतिभूतियां	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20. नाबार्ड में आरबीआई स्टेक की अधिग्रहण										
लागत	5465	...	...	...	...	...	...	1450.00	...	1450.00
21. एनएचबी में आरबीआई स्टेक की										
अधिग्रहण लागत	5465	...	...	...	...	...	...	450.00	...	450.00
जोड़-सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं		***...***	***40000.00***	***40000.00***	***...***	***35531.33***	***35531.33***	***1900.00***	***...***	***1900.00***
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
22. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	5466	...	39.57	39.57	...	...	...	...	...	...
	6001	...	-39.57	-39.57	...	...	...	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेय										
सेवा प्रभार	2047	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
24. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	5466	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
25. अफ्रीकी विकास निधि/बैंक	5466	...	14.18	14.18	...	13.65	13.65	...	14.36	14.36
26. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	2416	...	28.01	28.01	...	28.01	28.01	...	0.02	0.02
27. अफगानिस्तान पुनर्निमाण	3466	...	0.95	0.95	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84
न्यास निधि										
28. प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपातिक										
सहायता	3466	...	...	...	...	1.85	1.85	...	1.85	1.85
जोड़-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		***...***	***43.16***	***43.16***	***...***	***44.35***	***44.35***	***...***	***17.08***	***17.08***

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
29. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
29.01 गोआन बैंक	2885	...	7.75	7.75	...	7.75	7.75	...	7.75	7.75
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
30. विदेशी मुद्रा हानि की क्षतिपूर्ति										
30.01 राष्ट्रीय आवास बैंक	3475	...	6.93	6.93	...	5.67	5.67	...	36.66	36.66
31. अन्य व्यय	3466	...	0.25	0.25	...	0.21	0.21	...	0.20	0.20
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
32. समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को आर्थिक सहायता	2235	...	45.00	45.00	...	20.00	20.00	...	25.00	25.00
33. वरिष्ठ नागरिकों की पेन्शन योजना केलिए जीवन बीमा निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	249.77	249.77	...	242.68	242.68	...	200.00	200.00
34. ऋण ग्रस्त राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल व महाराष्ट्र में देय ऋणों पर ब्याज की माफी	2235	...	...	...	...	...	...	...	640.00	640.00
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**...**	**294.77**	**294.77**	**...**	**262.68**	**262.68**	**...**	**865.00**	**865.00**
सामान्य वित्त और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण										
35. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के लिए इसके प्रीमियम के हिस्से का भुगतान के अंतर्गत सरकारी अंशदान	7465	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	...	...
घटाइए-सामाजिक और अवसंरचना	7465	...	...	...	...	-1000.00	-1000.00	...	...	...
विकास कोष से प्राप्त राशि	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के लाभार्थियों के बच्चों को स्कोलरशिप प्रदान करने के लिए कोष का सृजन करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ऋण	7465	...	...	...	...	500.00	500.00	...	...	...
विविध सामान्य सेवाएं										
37. गारंटी मोचन निधि को अंतरण	2075	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00
कुल जोड़		***...***	***45538.00***	***45538.00***	***...***	***41769.00***	***41769.00***	***1900.00***	***8172.87***	***10072.87***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट सहायता	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट सहायता	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	...	...	...	...	...	...	1900.00	...	1900.00
जोड़	**13475**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**1900.00**	**...**	**1900.00**

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** एक शीर्ष संस्था है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करती है तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान करके और उनके ऋण-पत्र निर्गमों के लिए अभिदान करके उनके क्रियाकलापों को समन्वित तथा अनुपूरित करती है। बजटीय सहायता यू.एस.एआईडी ग्रीन हाऊस प्रदूषण नियंत्रण (जीईपी) परियोजना, एडीबी ऋण श्रृंखला के लिए तथा पुनर्सरंचना देयताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है।

3. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम** औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों के लिए अभिदान करता है; यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋणों की गारन्टी भी देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए स्टाक, शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी भरता है। बजटीय सहायता पुनर्सरंचना देयताओं को पूरा करने के लिए है।

4. **आईसीआईसीआई बैंक** :- सरकार की सहायता, विदेशी सहायता के अंतरण के लिए मदद देने तथा विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए व्यवस्था करने तक सीमित है।

5. **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** (एक्जिम बैंक) : निर्यातों तथा आयातों के लिए वित्तीय सहायता देता है तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से माल तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सरकार से निधियां अंश पूंजी के रूप में प्राप्त होती हैं ।

7. **भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)** को 10.00 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी और 1,000.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 5 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था। आईआईएफसीएल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए अन्य ऋणों की अनुपूर्ति करने के लिए अर्हक परियोजनाओं को सीधे निधियां, विशेषकर अपेक्षाकृत दीर्घावधिक परिपक्वता वाले ऋण प्रदान करेगा। कम्पनी दीर्घावधिक अवसंरचना वित्त के अंतर को पूरा करेगी जिसका निवारण करने में बैंक आस्तियों तथा देयताओं में अमेलता की समस्याओं के कारण असमर्थ है।

8. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)**: यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण देकर एकीकृत ग्रामीण विकास का संवर्धन करता है; राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है; तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कतिपय संस्थाओं को सीधे वित्तीय सहायता भी देता है। बजटीय सहायता, कृषि विकास के लिए तथा सरकार के विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विदेशी अभिकरणों से प्राप्त विदेशी सहायता की सीमा तक रुपया प्रतिरूप निधि के रूप में होती है।

9. **सहकारी ऋण सुदृढ़ीकरण हेतु नाबार्ड के माध्यम से अनुदान** : यह प्रावधान देश में सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए सुधार उपाय अपनाने हेतु राज्यों तथा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान देने के लिए है।

10. **कृषि ऋण सहायता योजनाः** यह प्रावधान नाबार्ड को कृषि ऋण पर ब्याज सहायता के लिए है। सरकार ने नाबार्ड को 2500 करोड़ रुपए की राशि पर 1.5% ब्याज सहायता मुहैया कराने हेतु स्वीकृति दी है।

11. यह प्रावधान नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषकों को 7% प्रति वर्ष की दर पर अल्पावधिक ऋण देने के लिए ब्याज सहायता हेतु है।

12. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना (एमआरसीपी) के अंतर्गत उनके पास लंबित दावों की व्यवस्था करने में नबार्ड को पूर्ण और अंतिम भुगतान करने का प्रावधान है।

13. यह प्रावधान देश में दीर्घ अवधि की सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सुधार के लिए उपायों को अपनाने हेतु राज्यों और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नाबार्ड को अनुदानों के भुगतान के लिए है।

14. यह प्रावधान वृहत् वित्तीय सहायता समावेशन की दृष्टि से विशेष कर कमजोर वर्गों, अल्प आय समूहों और पिछड़े क्षेत्रों में संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्य कलापों की सहायता के लिए है।

15. यह प्रावधान वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान और तकनीकी के अंतरण को कारगर बनाने वित्तीय सहायता मुहैयाकर्ता/प्रयोक्ता की तकनीकी ग्रहण क्षमता में वृद्धि करना और भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के मध्य नवीकरण और सहयोग करने में प्रोत्साहन देने के लिए है।

16. यह प्रावधान 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनःपूंजी की व्यवस्था के लिए है।

17. पुडुचेरी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए सरकारी अंश का प्रावधान है।

18. यह प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता के अभिग्रहण हेतु व्यय की पूर्ति हेतु है।

19. भारतीय स्टेट बैंक की प्रतिभूतियों को निर्गम द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के राईट इश्यू के लिए प्रावधान किया गया है।

20-21. यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक की धारिता के अभिग्रहण हेतु व्यय पूर्ति हेतु है।

23. एवजी प्रबंधनों और मुआवजे और आकस्मिक वित्तीय सुविधा के अंतर्गत किए गए निकासियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय सेवा प्रभार के लिए है।

24. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में निवेश के लिए है।

25. यह प्रावधान अफ्रिकन डेवलपमेंट फंड की पूंजी पुनःभरण, भारत के अंश तथा अफ्रिकन डेवलपमेंट बैंक के पूंजी स्टौक के अंशदानों के लिए है।

26. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के भारत के अंशदान के लिए है।

27. अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड के लिए भारत का अंशदान है।

28. यह प्रावधान प्राकृतिक आपदा सहायता लेखा के लिए आपातिक सहायता के कारण भारत की वचनबद्धता के लिए है।

29. इसमें गोआन बैंकों को ब्याज सहायता का भुगतान करने हेतु प्रावधान है।

30. यह प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक को इसके द्वारा विदेशी स्रोतों के ऋणों की वापसी में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु है ।

31. यह प्रावधान एसडीआर लेखा के प्रशासन के संबंध में अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष देयनिर्धारण प्रभारों के लिए है।

32. यह प्रावधान समुदाय आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण-बीमा कम्पनियों को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया है।

33. यह प्रावधान पालिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के भुगतान तथा पालिसी धारकों के नामितियों को क्रय मूल्य के समतुल्य एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए किया गया है।

34. यह प्रावधान ऋणग्रस्त राज्यों आंध्र प्रदेश कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र में अतिदेय ऋणों पर ब्याज की माफी के संबंध में भारत सरकार के अंश के भुगतान के लिए है।

35. **आम आदमी बीमा योजना के लिए इसके प्रीमियम के हिस्से का भुगतान के अंतर्गत सरकारी अंशदान (एएबीवाई)**- यह प्रावधान ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आम आदमी बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए इसके हिस्से के प्रीमियम भुगतान के तहत केंद्र सरकार की देयता को पूरा करने के लिए कोष प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित किए जाने हेतु मूलनिधि का सृजन करने के लिए है। इसके व्यय की तुलना भारतीय लोक लेखा में रखे गए "सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि" की वसूलियों द्वारा की जाएगी।

36. **आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए निधि का सृजन (एएबीवाई)** आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों के बच्चों को स्कौलरशिप पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कोष प्रबंधक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित किए जाने हेतु निधि का सृजन करने के लिए जीवन बीमा निगम को ऋण प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है।

37. यह अंशदान गारंटी मोचन निधि की संचित निधि के निर्माण के लिए है।